

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्र संख्या-१४१ / ग्रा०अ०वि० / टेके०पंजी०-५० / कनि०सहा०-१ / १८-१९, दिनांक-३१/१२/२०१९

पंजीकरण संख्या-३५२ / श्रेणी-'B' मार्ग / २०१९

—: पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल आगरा के पत्र संख्या-१२९१ दिनांक-२१-१२-२०१८ से प्राप्त मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स, के "B" श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स (प्रोपराइटर श्री गजेन्द्र पाल सिंह नरवार), निवासी, ९१५ सेक्टर-१ आवास विकास कालोनी, बोदला आगरा को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'B' में टेकेदारी हेतु दिनांक-३०-०६-२०२१ तक की अवधि के लिये एतद्द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट धाम बांदा एवं झांसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-३०-०६-२०२१ के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(रवीन्द्र सिंह गंगवार)  
मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १-अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा।
- २-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा।
- ३-समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग(पश्चिमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी०आई०यू० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ४-मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०लखनऊ।
- ५-निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०लखनऊ।
- ६- मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स (प्रोपराइटर श्री गजेन्द्र पाल सिंह नरवार), निवासी, ९१५ सेक्टर-१ आवास विकास कालोनी, बोदला आगरा (मो०न-९६३४६१२२९१) (ई मेल-narwarpankaj915@gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।
- ७-अवर अभियंता(प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियंता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/टेकेदार के पंजीकरण की इन्ट्री विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



अभियंता (प०क्षेत्र)  
अभियंत्रण विभाग  
लखनऊ  
३१/१२/१९

मुख्य अभियन्ता(प०क्षेत्र)  
३१/१२/१९